संख्या-11/1133/22-4-14-105(ब)/08

प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक-14अक्टूबर,2014

विषय- कारागारों की संचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कारागारों में वायरलेस सेटों की स्थापना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 23958/आधु0-1/वायरलेस/2014, दिनांक- 26;08;2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश की कारागारों की संचार व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु 62 कारागारों के लिए 62 स्टेटिक सेट(प्रति सेट लागत रू0 65,000/-) एवं 808 हैण्ड हेल्ड सेटों(प्रति सेट लागत रू0 15,000/') जिनका कारागारवार स्थापित किये जाने का विवरण संलग्न है, को क्रय किये जाने हेतु कुल रू0 1,61,50,000/-(रूपया एक करोड इकसठ लाख पाचास हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं उक्त धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं -

(1) उक्त स्टेटिक तथा हैण्ड हेल्ड वायरलेस सेटों का क्रय भण्डार क्रय नियमों एवं संगत नियमों/शासनादेशों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार क्रय प्रक्रिया के अन्तर्गत सभी औपचारिकता की पूर्ति करते हुए किया जायेगा और इसका दायित्व महानिरीक्षक कारागार का होगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31ण्-12-2014 तक अवश्य कर लिया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक खाता तथा पी0एल0ए0 में नही रखी जायेगी।

(4) धनराशि जिस प्रायोजन हेतु स्वीकृत की जा रही है उसका उपयोग उसी पर व्यय किस जायेगा। व्यय की पश्चात यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो वह राजकोष में जमा की जायेगी।

2- उक्त धनरशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-14-कारागारों के लिए उपकरणों, संयंत्रो एवं वाहन आदि की व्यवस्था-26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक के अन्तर्गत उपलब्ध बजट से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ई-1-1468/दस-2014/दस/2014, दिनांक-13-10-2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

संख्या-11/1133(1)/22-4-14-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प0, इलाहाबाद।
(2) वित्त नियंत्रक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ
(3) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्कीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(6) गार्ड फाईल।

आज्ञां से,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in